

नम्बर
जो इस

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/11/22

पशावकी पेश करीए वही उपर न्याय वाडी मय
 काउन्सिल स्थी कार निष्का जा ला हे विस्तृत प्रश्न
 मे लिख्य जा कर पशा 2110 लिख मय पशा पकी
 जो एव सुमा एवके मय न मय के मय पकी पशा पकी
 जिला मय मय 2110

सहायक कलक्टर (फायनेंस)
 मुम्बई (सैथन-विजाज)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
पीठासीन अधिकारी :- सुष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या
108/2024

वायर दिनांक
25.05.2024

निर्णय दिनांक
06.04.2026

बसुनवान

1. जयप्रकाश पुत्र सुखराम जाति चमार निवासी माजरी भाण्डा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:- वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र मानिया
2. शिम्भू पुत्र मानिया
3. मदन पुत्र मानिया जातियान कंजर निवासीयान सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।


प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


वादी वकील :- श्री महेश गुर्जर

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि :-

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, ख0न0 597 रकबा 2.47 हैक0, में से रकबा 0.30 हैक0, वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, व ख0न0 597 में रकबा 0.30 हैक0, मिलाकर पैमूद किया गया है। नकल मिलानक्षेत्रफल संलग्न है।
3. यह है कि गत आराजी ख0न0 1228/486 मे प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया का 61625/136125 भाग रहा है, जिस आराजी पर प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त रहे है।


सहायक कलक्टर (फास्टे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

4. यह है कि प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर निवासी सोडावास को पैसों की आवश्यकता होने पर दिनांक 7/1/2010 को मिन वादी को अपने हिस्से 61625/136125 भाग में से 3741/136125 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया तथा मौका पर मिन वादी को कब्जा सम्भलवा दिया।
5. यह है कि मिन वादी के नाम बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स0 1283 दिनांक 5/3/2010 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व मंजूर हो गया तथा मिन वादी ने उक्त जायदाद वास्ते रिहायस खरीद की थी तथा मिन वादी ने अपने खरीदशुद्धा जायदाद के चारदिवारी निर्मित कर, रिहायसी मकानात बनाकर, रिहायस करते आ रहे है।
6. यह है कि गत ख0न0 1228/486 अलवर - बहरोड पर स्थित रही है, जिस आराजी में से मिन वादी द्वारा विकेता प्रतिवादी स0 1 ल0 3 से 3741/13625 भाग जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वास्ते रिहायस प्लॉट के रूप में खरीद की गयी थी तथा मिन वादी की खरीदशुद्धा जायदाद रोड से करीब 400 फुट दूर रही है। जिस पर मिन वादी ने चारदिवारी कर, पुख्ता रिहायसी मकान का निर्माण कर, रिहायस कर रहे है।
7. यह है कि सन् 2014 में पी.डब्लू डी विभाग द्वारा गत साबिक ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक्0, में से प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर का शेष रकबा 48896/13625 भाग में से 0.30 हैक्0 वास्ते सडक अवाप्त कर लिया, जिसका इन्तकाल स0 1543 दिनांक 8/10/2014 को दर्ज व मंजूर हो गया।
8. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक्0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक्0, 594 रकबा 0.52 हैक्0, 598 रकबा 0.02 हैक्0, हैक्0, पैमूद कर, गत ख0न0 1228/486 का रकबा 0.30 हैक्0, जो प्रतिवादी स0 1 ल0 3 का हिस्से में रहा है, को गैर मु0 सडक ख0न0 597 में मिलाकर पैमूद कर दिया, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त पैमूद करते हाल ख0न0 597 मिन वादी का हिस्सा 17458 / 2241525 भाग रोड में दर्ज कर, हाल ख0न0 593, 594, 598 में हिस्सा 1247/45375 दर्ज कर दिया, जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है, जबकी पी.डब्लू डी विभाग द्वारा ना तो मिन वादी की भूमि को अवाप्त किया है, ना ही मिन वादी को कोई मुआवजा दिया गया है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका मिन वादी का हिस्सा रोड में दर्ज कर दिया। जबकी राजस्व कर्मचारियों को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के हिस्से की आराजी को रोड में दर्ज करना चाहिए था, इसलिए मिन वादी प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के नाम दर्ज आराजी हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक्0, 594 रकबा 0.52 हैक्0, 598 रकबा 0.02 हैक्0, में से रकबा 17458/2241525 भाग कम कराकर, उक्त रकबा 17458/2241525 को हाल ख0न0 593, 594, 598 में दर्ज कराकर, मिन वादी का हिस्सा 3741/136125 भाग


 सहायक कमिश्नर (फाउण्डेरी)
 मुण्डावर (खैरतल-विजारा)

- दर्ज कराकर, राजस्व रिकॉर्ड दूरस्त कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इशतकरारहक मय दूररुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।
9. यह है कि मिन वादी अपनी खरीदशुद्धा जायदाद पर चारदिवारी व पुख्ता रिहायसी मकानात का निर्माण कर, उपयोग उपभोग करता आ रहा है, इसलिए मिन वादी को राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हुयी, लेकिन अब दिनांक 20/5/2024 को मिन वादी को राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकल चाही तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी स0 4 से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉर्ड दूररुस्त करने बाबत कहा तो प्रतिवादी स0 4 ने राजस्व रिकॉर्ड दूररुस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि सक्षम अदालत से रिकॉर्ड दूररुस्त कराओ। जिस पर यह दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।


अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे-

- (अ) यह है कि डिकी इशतकरारहक मय दूररुस्ती इस प्रकार पारित की जावे कि गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैव0, के रकबा 3741/136125 में से जो हाल ख0न0 597 रकबा 2.47 हैव0, में मिन वादी का रकबा 17458/2241 दर्ज किया है, उक्त रकबा को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के हिस्से आराजी ख0न0 593 रकबा 0.01 है0, 594 रकबा 0.52 हैव0, 598 रकबा 0.02 हैव0, में से रकबा 17458/2241525 भाग कम किया जाकर, कम किये गये रकबा को आराजी हाल ख0न0593, 594, 598 में मिलाकर, मिन वादी का रकबा 3741/136125 भाग दर्ज कर, राजस्व रिकॉर्ड दूररुस्त फरमाया जावे।
- (ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।


वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श स0 -1 बैयनामा दिनांक 07.01.2010 किता-10, प्रदर्श-2 असल नक्शा विवादित खरीद शुद्धा आराजी, प्रदर्श-3 मिशाल, प्रदर्श स0 4 जमाबन्दी सैटलमेन्ट 2016-36 किता-8, प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्वत 2065-2068 किता-1, प्रदर्श-6 जमाबन्दी सम्वत 2065-2068, प्रदर्श -7 जमाबन्दी सम्वत 2073-76, छायाप्रति मिशाल गिरदावरी 2062-65 पेश की।

लिखित बहस वादी की तरफ से जरिये वकील महेश कुमार गुर्जर की और से निम्न प्रकार पेश है।


 सहायक कलक्टर (फा0ट्र0)
 मुण्डावर (सैटलमेन्ट-विजादा)

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि उक्त अनुवानी प्रकरण अन्तिम बहस में चल रही है।
3. यह है कि वादी द्वारा अदालत श्रीमान के समक्ष एक वाद इश्तकरारहक मय दूरुस्ती अर्न्तगत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0 का अदालत श्रीमान के समक्ष आराजी हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, ख0न0 597 रकबा 2.47 हैक0, में से रकबा 0.30 हैक0, वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर में स्थित है तथा वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, व ख0न0 597 में रकबा 0.30 हैक0, मिलाकर पैमूद किया गया है तथा गत आराजी ख0न0 1228/486 मे प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया का 61625/136125 भाग रहा है, जिस आराजी पर प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त रहे है तथा प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर निवासी सोडावास को पैसों की आवश्यकता होने पर दिनांक 7/1/2010 को मिन वादी को अपने हिस्से 61625/136125 भाग में से 3741/136125 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया तथा मौका पर मिन वादी को कब्जा सम्भलवा दिया तथा मिन वादी के नाम बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स0 1283 दिनांक 5/3/2010 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व मंजूर हो गया तथा मिन वादी ने उक्त जायदाद वास्ते रिहायस खरीद की थी तथा मिन वादी ने अपने खरीदशुद्धा जायदाद के चारदिवारी निर्मित कर, रिहायसी मकानात बनाकर, रिहायस करते आ रहे है, लेकिन गत ख0न0 1228/486 अलवर - बहरोड पर स्थित रही है, जिस आराजी में से मिन वादी द्वारा विक्रेता प्रतिवादी स0 1 ल0 3 से 3741/13625 भाग जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वास्ते रिहायस प्लॉट के रूप में खरीद की गयी थी तथा मिन वादी की खरीदशुद्धा जायदाद रोड से करीब 400 फुट दूर रही है। जिस पर मिन वादी ने चारदिवारी कर, पुख्ता रिहायसी मकान का निर्माण कर, रिहायस कर रहे है। सन् 2014 में पी.डब्लू डी विभाग द्वारा गत साबिक ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, में से प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर का शेष रकबा 48896/13625 भाग में से 0.30 हैक0 वास्ते सडक अवाप्त कर लिया, जिसका इन्तकाल स0 1543 दिनांक 8/10/2014 को दर्ज व मंजूर हो गया, लेकिन वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, हैक0, पैमूद कर, गत ख0न0 1228/486 का रकबा 0.30 हैक0, जो प्रतिवादी स0 1 ल0 3 का हिस्से में रहा है, को गैर मु0 सडक ख0न0 597 में मिलाकर पैमूद कर दिया, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त पैमूद करते हाल ख0न0


 सहायक कलक्टर (कांटे) (कैथल-टिजाहा)
 मुण्डावर

- 597 मिन वादी का हिस्सा 17458 / 2241525 भाग रोड में दर्ज कर, हाल ख0न0 593, 594, 598 में हिस्सा 1247/45375 दर्ज कर दिया, जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है, जबकी पी.डब्लू डी विभाग द्वारा ना तो मिन वादी की भूमि को अवाप्त किया है, ना ही मिन वादी को कोई मुआवजा दिया गया है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका मिन वादी का हिस्सा रोड में दर्ज कर दिया। जबकी राजस्व कर्मचारियों को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के हिस्से की आराजी को रोड में दर्ज करना चाहिए था, इसलिए मिन वादी गैर मु0 सडक ख0न0 597 रकबा 2.47 हैक्0, में से रकबा 17458 / 2241525 भाग कम कराकर, उक्त रकबा 17458 / 2241525 को हाल ख0न0 593, 594, 598 में दर्ज कराकर, मिन वादी का हिस्सा 3741/136125 भाग दर्ज कराकर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त कराने का अधिकारी है तथा मिन वादी अपनी खरीदशुद्धा जायदाद पर चारदिवारी व पुख्ता रिहायसी मकानात का निर्माण कर, उपयोग उपभोग करता आ रहा है, इसलिए मिन वादी को राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हुयी, लेकिन अब दिनांक 20/5/2024 को मिन वादी को राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से समर्पक किया तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकल चाही तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी स0 4 से समर्पक किया तथा राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त करने बाबत कहा तो प्रतिवादी स0 4 ने राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि सक्षम अदालत से रिकॉर्ड दूरुस्त कराओ। जिस पर यह दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। जिस पर यह दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।
4. यह है कि मिन वादी द्वारा पेश वाद में अदालत श्रीमान द्वारा सम्मन जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की तामील होने पर प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं आये तथा अदालत श्रीमान द्वारा नियमानुसार प्रतिवादी स0 1 ल 3 की एक्सपार्टी अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी स0 4 द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया है, जिसमें ख0न0 597 किस्म गैर मु0 सडक रिकॉर्ड में दर्ज होना दर्शित किया है।
5. यह है कि उक्त विवादित जायदाद मिन वादी की खरीदशुद्धा रिहायसी जायदाद रही है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त सैटलमेंट मिन वादी की खरीदशुद्धा हिस्से की आराजी को गैर मु0 सडक ख0न0 597 में दर्ज कर दिया, जबकी सैटलमेंट विभाग को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की आराजी को गैर मु0 सडक में दर्ज करना चाहिए था। इसलिए मिन वादी प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के नाम दर्ज आराजी में से रकबा 17458/2241525 भाग को कम किया जाकर, उक्त रकबा को हाल ख0न0 593, 594, 598 में दर्ज कर, मिन वादी का हिस्सा को हाल ख0न0 593, 594, 598 में दर्ज कराकर, मिन वादी का हिस्सा 3741/136125 भाग दर्ज कराकर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त कराने का अधिकारी है।

LS
सहायक कलेक्टर (का0ट0)
मुण्डावर (खैरथल-विजारा)

6. यह है कि मिन वादी की भूमि को बिना अवाप्त किये किये व बिना मुआवजा किये ही गैर मु0 सड़क दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी की जायदाद वास्ते रिहायस खरीदशुदा रही है, तथा मिन वादी की खरीदशुदा के साथ प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की जायदाद रही है, जो जायदाद रोड के साथ लगती हुयी रही है, लेकिन सैटलमेंट विभाग द्वारा रोड के साथ लगती भूमि को अवाप्त नहीं कर, रोड से काफी यानि 400 मिटर दूर स्थित आराजी को रिकॉर्ड में गैर मु0 सड़क दर्ज कर दिया, जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है।
7. यह है कि मिन वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने स्वयं की साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श स0 1 बैयनामा, प्रदर्श स0 2 नक्शा व प्रदर्श स0 3 मिलानक्षेत्रफल, प्रदर्श 4 भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी किता 7 , प्रदर्श 5 इन्तकाल सम्वत 2065 ल0 2068, प्रदर्श 6 हाल जमाबन्दी सम्वत 2073 ल0 2076 किता 7 पेश किया है, जिन दस्तावेज के आधार पर मिन वादी केस आयद सो साबित है, इसलिए वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जावे।
अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


संक्षिप्त विवेचन

वादपत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वादी के शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित भूमि का विधिवत बैनामा दिनांक 07.01.2010 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा उस पर निर्माण कर निवास करता आ रहा है। अभिलेखों से यह भी प्रमाणित है कि सन् 2014 में सड़क हेतु भूमि का अधिग्रहण प्रतिवादीगण के हिस्से से किया गया, न कि वादी के हिस्से से।

सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश वादी के हिस्से की भूमि को खसरा नंबर 597 (गैर मुमकिन सड़क) में दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी की भूमि न तो अधिग्रहित की गई और न ही उसे कोई मुआवजा दिया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी, इन्तकाल एवं नक्शा आदि दस्तावेज वादी के कथन का समर्थन करते हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के अनुपस्थित रहने के कारण वादी के कथनों का खंडन नहीं हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भी कोई ठोस प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया।


अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी का कथन विश्वसनीय एवं स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा यह सिद्ध होता है कि राजस्व अभिलेख में अंकन त्रुटिपूर्ण है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।


सहायक कलक्टर (फा०००)
मुण्डाघर (खैरथल-तिजारा)

निर्णय

वादी का वाद विचारणोपरांत साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित पाया गया। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।
अतः आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 593, 594, 598 वाके ग्राम सोडवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादी को 2860/45375 रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के रकबे में से 1613/45375 रकबे को हजफ कर वादी के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे में समायोजित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा0ट्र0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर

मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
पीठासीन अधिकारी :- सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या
108 / 2024

दायर दिनांक
25.05.2024

पर्चा डिक्री दिनांक
06.04.2026

बउनवान

1. जयप्रकाश पुत्र सुखराम जाति चमार निवासी माजरी भाण्डा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:- वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र मानिया
2. शिम्भू पुत्र मानिया
3. मदन पुत्र मानिया जातियान कंजर निवासीयान सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:- पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गुर्जर एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में दिनांक 06.04.2026 को श्रीमती सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिक्री जारी की जाती है :-

अतः आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 593, 594, 598 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादी को 2860/45375 रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के रकबे में से 1613/45375 रकबे को हजफ कर वादी के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे में समायोजित किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (आर.ए.एस.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर

मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0